भूमि खण्डो में विभाजित हो जाएगी जिससे उसे कृषि कार्य करने में असुविधा होगी तथा अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि की सुविधायों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 661 दिनांक 08.11.2024 एवं पत्रांक 03 दिनांक 01.01.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट मे अंकित किया कि. प.न. 174/174 मु.न. 42 के किला नम्बर 5/2 तक मु.न. 42 के ही किला नम्बर 1 व 2 मे से होते हुए 330 फुट लम्बा 16.5 फुट चौड़ा निकटतम रास्ता होना बतलाते हुए रिपोर्ट भिजवाई गई। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपनी रिपोर्ट में चक 5 एनटीडब्ल्यु के प.न. 174/174 मु.न. 42 में कटानी रास्ता निकटतम रास्ता दर्शाया गया है तथा जिस काश्तकार के पास कृषि कार्य हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव है उसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत निकटतम रास्ता दिये जाने के स्पष्ट प्रावधान भी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक अन्य लघुतम मार्ग की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण नये सिरे से निकटतम मार्ग के अनुसार संबन्धित को पक्षकार बनाकर रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।

आदेश खुले में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया